

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
जलेब चौक

फोन :- 0141-2614424, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : store.hgcd.rj@nic.in

Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक : गृमु/भण्डार/एस-1(1-3)2020-21/ 16288

दिनांक 24-6-21

ई-बोली आमंत्रण सूचना

गृह रक्षा विभाग को राशि रुपये 401.04 लाख के विभिन्न प्रकार के आईटम प्रदाय (सप्लाय) करने हेतु ई-बोली (e-Bid) आमन्त्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 25.06.2021 को प्रातः 12.00 बजे से वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 19.07.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन-लाईन ई-ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है। बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर Bid-Securing Declaration को स्कैन कर ऑन-लाईन बोली दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के उक्त चालान की प्रति एवं Bid-Securing Declaration मूल ही दिनांक 19.07.2021 को 3.00 पी.एम. तक भौतिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। ई-बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 19.07.2021 को 4.00 पी.एम. पर खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं तत्सम्बन्धी अन्य विवरण को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://www.sppp.rajasthan.gov.in>) अथवा विभागीय वेबसाइट <http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर देखा जा सकता है।

NIB CODE -
UBN No. -


(अमृत कलश)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
जलेब चौक

फोन :- 0141-2614424, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : store.hgcd.rj@nic.in

Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक : गृमु/भण्डार/एस-1(1-3)2020-21 / 16289

दिनांक 24-6-21

विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना

गृह रक्षा विभाग को राशि रुपये 401.04 लाख के विभिन्न प्रकार के आइटम प्रदाय (सप्लाई) करने हेतु ई-बोली (e-Bid) आमन्त्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 25.06.2021 को प्रातः 12.00 बजे से वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 19.07.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन-लाईन ई-ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है। बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर **Bid-Securing Declaration** को स्कैन कर ऑन-लाईन बोली दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के उक्त चालान की प्रति एवं **Bid-Securing Declaration** मूल ही दिनांक 19.07.2021 को 03.00 पी.एम. तक भौतिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। ई-बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 19.07.2021 को 04.00 पी.एम. पर खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं तत्सम्बन्धी अन्य विवरण को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://www.sppp.rajasthan.gov.in>) अथवा विभागीय वेबसाइट <http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	नाम वस्तु	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रु.)	आपूर्ति अवधि (दिनों में)
1.	वर्दी कपडा टेरीकोट खाकी	24300 मीटर	43.74	500/-	60
2.	खाकी जर्सी	16820 नग	122.78	1000/-	60
3.	अंगोला शर्ट	17583 नग	131.87	1000/-	60
4.	जूते काले डीएमएस	9200 जोड़े.	90.16	500/-	60
5.	कैप वन पीस खाकी	13878 नग	12.49	500/-	60
कुल योग :-			401.04		

नोट :-

- क्र.सं. 1 को छोड़कर शेष आइटम राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है।
- बजट की उपलब्धता के अनुरूप उपरोक्त आइटमों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।



(अमृत कलश)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

बोली (Bid) की मुख्य शर्तें :-

1. (अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (Bid Document Fees & Bid Processing Fees) एक ही चालान (Singal Challan) से ऑन-लाईन ई-ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "र" के अनुसार) जमा कराया जाना है। :-

शुल्क का विवरण	शुल्क की राशि
बोली प्रपत्र शुल्क (एक करोड तक)	रु. 500
बोली प्रपत्र शुल्क (एक करोड से अधिक)	रु. 1000
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 50 लाख से कम है)	रु. 500
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 50 लाख से अधिक है)	रु. 1000

2. **बोली प्रतिभूति (Bid Security):-** वित्त (G & T) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1) वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 की अनुपालना में बिड सिक्यूरिटी राशि (Bid Security Amount) के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर Bid-Securing Declaration (परिशिष्ट - 'य') प्रस्तुत करना होगा।
3. शुल्क जमा कराने की तिथि:- निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन-लाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "र") के अनुसार जमा कराया जाना है। तथा चालान की प्रति बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से भी जमा कराना होगा। बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर Bid-Securing Declaration (परिशिष्ट-'य') भी मूल ही दिनांक 19.07.2021 को समय दोपहर 3.00 पी.एम. तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, Bid-Securing Declaration एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में बोली में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।
4. बोली की क्वालीफाइंग बिड दिनांक 19.07.2021 को सायं 4.00 बजे खोली जायेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड खोलने की तिथि व समय की सूचना पृथक से <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://www.sppp.rajasthan.gov.in>) अथवा विभागीय वेबसाइट <http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर दी जाएगी।
5. जो बोलीदाता ई-बोली (e-Bid) में भाग लेना चाहते हैं, सर्वप्रथम उन्हें वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात् जो बोलीदाता ऑन-लाईन बिड में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T. Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II or Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं, वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन-लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। **बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि इण्टरनेट जाम की स्थिति से बचने के लिए वे निर्धारित दिनांक एवं समय की प्रतीक्षा नहीं करें। यथासम्भव निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।**

7. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु :-**

- (i) विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना में क्र.स. 2, 3, 4 एवं 5 पर अंकित आईटम वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म" एवं "लघु" उद्यम से उपापन किये जाने के लिए आरक्षित हैं।
 - (ii) किसी भी आईटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेंगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन-II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
 - (iii) राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बिड सिक्चरिटी के संबंध में 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर Bid-Securing Declaration (परिशिष्ट -'य') प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम/प्रावधान लागू होंगे।
 - (iv) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 - (v) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (vi) उपरोक्त बोली आईटमों में किन्हीं आईटमों की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों से कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - (vii) बोलीदाता लघु उद्योग इकाई को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसका विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया जा सकता है।
8. बोली के साथ बोलीदाता वैध जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र (इस सम्बन्ध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4(ii) देखें) की प्रमाणित प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेंगे।
9. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. **सैम्पल :-**
- (i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ चाहे अनुसार आईटमों प्रत्येक आईटम के एक-एक जोड़े/मीटर/नग/सेट शील्ड नमूने बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावेंगे एवं बोलीदाता किसी भी कार्यदिवस को महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर विभागीय सैम्पल देख सकते हैं।
 - (ii) विभागीय उपापन समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जांच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला में करा सकती हैं। यदि सैम्पल की जाँच कराई जाती है तो जाँच शुल्क बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जाएगा। यदि बोलीदाता जाँच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जाँच शुल्क की राशि काट ली जायेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
11. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।
12. **दरों की वैधता** - दरों की वैधता बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगी।
13. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहा/रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा। यदि किसी बोलीदाता ने फिर भी ई-बोली में भाग लिया है तो वह प्रथम दृष्टया निरस्त कर दी जावेगी।

14. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि को वैध होने चाहिए।
15. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब, परिशिष्ट-स, परिशिष्ट-द एवं परिशिष्ट-ई तथा अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II, अनुलग्नक-III एवं अनुलग्नक-IV का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब, परिशिष्ट-स, परिशिष्ट-द, परिशिष्ट "य", परिशिष्ट "र" एवं परिशिष्ट-ई तथा अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II, अनुलग्नक-III एवं अनुलग्नक-IV में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'II' एवं विभाग द्वारा जारी चैक लिस्ट डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त स्वयं द्वारा प्रमाणित कराकर ई-बोली के साथ स्कैन करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
16. बोली में भाग लेनी वाली बोलीदाता फर्म को बोलीदत्त आईटम का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम में विगत 5 वर्षों में आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित विभाग से जारी सन्तोषजनक कार्य सम्पादित करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं आपूर्ति आदेश/भुगतान की प्रति ऑन-लाईन प्रस्तुत करनी होगी।

तथा

बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदत्त आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत 3 वर्षों में किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर 50.00 लाख का होना आवश्यक है। तथा 50 लाख से कम के आईटम में टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के बराबर होना आवश्यक है।

17. बोलीदाता को अपनी विगत 3 वर्षों की बैलेंस शीट (Balance Sheet) व लाभ-हानि खाता (Profit & Loss Account) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) से प्रमाणित कराकर आवश्यक रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत करना होगा। किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में सन्तोषजनक लेन-देन होने की पुष्टि का प्रमाण-पत्र ऑन-लाईन प्रस्तुत करना होगा।
18. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
19. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत राज्य सरकार द्वारा Debar किये गये बोलीदाता उक्त बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
21. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग शासन सचिवालय जयपुर होंगे।
22. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :-

- (1) सीनियर स्टॉफ ऑफिसर, प्रथम, गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141-2614424 ई-मेल store.hgcd.rj.@nic.in



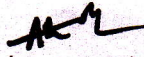
(अमृत कलश)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

कार्यालय का नाम	निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
अनुमानित मात्रा/संख्या	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
कुल अनुमानित कीमत	401.04 लाख
बोली प्रतिभूति राशि	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
सप्लाई अवधि	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली खुलने की तिथि	दिनांक 19.07.2021 को सायं 4.00 बजे

संलग्न:- बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2021-22

दिनांक:-


 (अमृत कलश)
 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
 गृह रक्षा, राजस्थान,
 जयपुर।